उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 008279

6. विक्रेतागण, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता कम्पनी का नाम दर्ज करवायेगें या वो स्वयं दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर प्रथम पक्ष से करा सकते है, विक्रेतागण/प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत, भूमि में निहित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण का, अब कोई संबंध नहीं रहा और न कभी रहेगा। तथा इस विक्रय के बाद भूमि से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के कोई भी लाभ का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ क्रेता कम्पनी का होगा।

Add. in Stamp No. ......

27 AUG 2012

Office of The Treasury
Ghaziabad
Cashier

सब रजिस्ट्रार प्रथम गाजियाबाद

* उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 008278

7. विक्रीत भूमि पर आज दिन तक प्रथम पक्ष/विक्रेतागण की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेतागण के अनाधिकार से या विक्रेतागण के उत्तराधिकारियों की दावेदारी या किसी कानूनी

Add. in Stamp No.....

27 AUG 2012

Office of The Treasury
Ghaziabad
Cashier

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 008277

नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर प्रथम पक्ष/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने

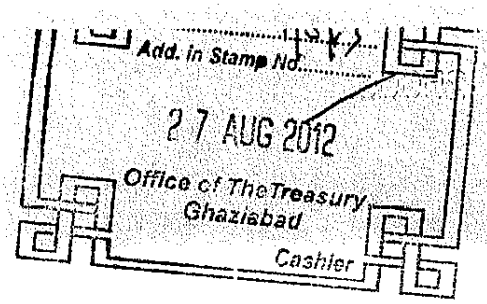

Add. in Stamp No.

27 AUG 2012

Office of The Treasury
Ghaziabad

Cashier

प्रथम

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश